

रयिल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये GoM का गठन

चर्चा में क्यों?

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नतिनि पटेल की अगुवाई में एक मंत्रसितरीय समूह का गठन कयिा गया है जो एक कंपोज़िशन स्कीम (composition scheme) तैयार करने के अलावा रयिल स्टेट के क्शेत्तर में GST दर को युक्तसिंगत बनाने की संभावनाओं की तलाश करेगा ।

- GST प्रणाली के तहत रयिल एस्टेट क्शेत्तर को बढ़ावा देने के लयिे इस 7-सदस्यीय मंत्री समूह (Group of Ministers-GoM) के गठन का नरिणय हाल ही में हुई GST परिषद की बैठक के दौरान लयिा गया था ।

परमुख बदि

- GoM के वचिरार्थ वषियों (Terms of Reference-ToR) में इस सेक्तर के लयिे एक कंपोज़िशन स्कीम तैयार करने के तरीके सुझाना शामिल है ।
- GoM, रयिल एस्टेट क्शेत्तर को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों और चुनौतियों सहति GST के अंतर्गत कर की दरों का भी वशिलेष्ण करेगा ।
- यह समूह कंपोज़िशन स्कीम में ज़मीन के समावेशन/अपवर्जन या कसिी अन्य घटक को शामिल करने की वैधानकितता की जाँच करेगा और मूल्यांकन प्रकरयिा संबंधी सुझाव भी देगा ।
- यह समूह एक संयुक्त समझौते और उपयुक्त मॉडल में वकिस अधकियों के हस्तांतरण (Transfer of Development Rights-TDR) और वकिस अधकियों (Development Rights) पर GST के वभिनिन पहलुओं की भी जाँच करेगा ।
- GoM के अन्य मंत्रयिों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वत्ति मंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री मौवनि गोडनिहो (Mauvin Godinho) शामिल हैं ।
- वर्तमान में नरिमाणाधीन संपत्ति या रेडी-टू-मूव-इन (ready-to-move-in) फ्लैट्स, जहाँ बकिरी के समय पूर्रणता प्रमाण-पत्र जारी नहीं कयिा गया है, के मामले में कयिे गए भुगतान पर 12% GST लगाया जाता है ।
- GST लागू होने से पहले इस तरह की संपत्ति पर 15-18% कर लगाया जाता था ।
- हालाँकि, ऐसी रयिल एस्टेट परसिंपत्तयिों के खरीदारों पर GST नहीं लगाया जाता है जनिकी बकिरी के समय पूर्रणता-प्रमाण पत्र जारी कयिा गया हो ।

स्रोत : पी.आई.बी एवं इकोनॉमिक टाइम्स